इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 12 अंक संख्या: 9 अप्रैल, 2020 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 5
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------6
विदेशी मुद्रा ----------9
शब्दावली----------10
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां---------- 11
संस्थान समाचार ----------11
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।''

मुख्य घटनाएँ

7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 की मुख्य विशेषताएं

मौद्रिक नीति समिति की 7वीं द्विमासिक बैठक 27 मार्च, 2020 को आयोजित की गई। उक्त बैठक के कुछेक मुख्य निर्णय निम्नानुसार थे :

- पुनर्खरीद (repo) दर 75 आधार अंक घटाकर 4.4% कर दी गई।
- प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 90 आधार अंक घटाकर 4% कर दी गई।
- 1.37 लाख करोड़ रुपये जारी करने के उद्देश्य से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 1 वर्ष के लिए 100 आधार अंक घटाकर 3% कर दिया गया।
- न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेष 30 जून, 2020 तक 90% से घटाकर 80% कर दिया गया।
- सावधि ऋण बकाए की चुकौती किस्तों पर तीन माह का ऋण स्थगन।
- कार्यशील पूंजी (wc) सुविधाओं पर ब्याज 3 माह के लिए आस्थगित।
- अनर्जक आस्तियों के मामले में इस प्रकार के ऋण स्थगन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- कार्यशील पूँजी चक्र का पुनर्निर्धारण करके आस्थगित भुगतान गणना को संशोधित किया जाए।
- संशोधित उपायों से ऋण इतिवृत्त प्रभावित नहीं होगा।

- प्रणाली में 3.74 लाख करोड़ का चलनिधि निषेचन किया गया/ की चलनिधि लगाई गई।
- समग्र चलनिधि निषेचन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4% है।
- 19-20 की 4थी तिमाही और वित्त वर्ष 20-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि प्रभावित होगी।
- समग्र मांग कमजोर हो सकती है।
- भावी संभावना (outlook) अनिश्चित एवं नकारात्मक।

कोविड-19- विनियामक पैकेज (संशोधित)

कोविड – 19 देशव्यापी महामारी के कारण ऋण चुकौती में आई गिरावटों के बोझ को कम करने तथा व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च, 2020 की उसकी अधिसूचना डीओआर. सं॰ बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019-20 के अधीन एक विनियामक पैकेज की घोषणा की गई है। निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करते हुये विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं :

- **भुगतानों की अवधि का पुनर्निर्धारण** : **सावधि ऋण एवं कार्यशील सुविधाएं** : सभी सावधि ऋणों और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबन्ध में ऋणदात्री संस्थाओं को सभी किस्तों के और 1 मार्च, 2020 तथा 31 मई, 2020 के बीच देय होने वाले ब्याज के भुगतानों के संबंध में तीन माह का ऋण स्थगन मंजूर करने की अनुमति दी गई है। इसप्रकार के ऋणों के लिए चुकौती कार्यक्रम तथा अवशिष्ट परिपक्वता काल उक्त ऋण स्थगन अवधि के बाद सभी मामलों में तीन माह तक बढ़ जाएंगे। इस ऋण स्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋणों के बकाया हिस्से पर ब्याज उपचित होता रहेगा।

- **कार्यशील पूंजी वित्तीयन की सहूलियत** : स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में ऋणदात्री संस्थाएं आहरण अधिकार/शक्ति की गणना मार्जिन घटाकर और /अथवा कार्यशील पूंजी चक्र पुन: निर्धारित करके कर सकती हैं। यह राहत 31 मई, 2020 तक किए गए ऐसे सभी परिवर्तनों के संबंध में उपलब्ध होगी।

- **विशेष उल्लेख खाते (SMAs) और अनर्जक आस्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकरण** : जो मंजूर किए गए हैं ऐसे सावधि ऋणों के आस्ति वर्गीकरण के लिए राहत का निर्धारण नियत तिथियों एवं संशोधित चुकौती कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा और इसीप्रकार जहां राहत प्रदान की गई हो वहाँ कार्यशील पूंजी सुविधाओं, विशेष उल्लेख खातों एवं अव्यवस्थित स्थिति का मूल्यांकन आस्थगन अवधि और उसके साथ-साथ संशोधित शर्तों को पूरी किए जाने के तत्काल बाद संचित ब्याज लागू किए जाने के तथ्य को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

- **अन्य शर्तें :** ऋणदात्री संस्थाएं सभी पात्र उधारकर्ताओं को ऊपर वर्णित राहतें प्रदान करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ तैयार करेंगी। जहां कहीं किसी उधारकर्ता के प्रति ऋणदात्री संस्था का एक्सपोजर 1 मार्च, 2020 के दिन 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, वहाँ बैंक अपने उधारकर्ताओं को प्रदान की गई राहतों के संबंध में एक ऐसी प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंजूर की गई राहत की प्रकृति और रकम का उधारकर्ता-वार तथा सुविधा-वार समावेश होगा।

भारतीय रुजर्व बैंक ने आईबीयू में परिचालन करने वाले भारतीय बैंकों को एनडीएफ (NDF) बाजार में सहभागिता करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में कार्यरत उन बैंकों, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात आईएफएससी (IFSC) बैंकिंग इकाइयों के रूप में परिचालन करते हैं, को 1 जून, 2020 से नान-डिलीवरेबल वायदा (NDF) बाजार में सहभागिता करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बैंक भारत में स्थित उनकी शाखाओं के माध्यम से अथवा भारत से बाहर स्थित अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) इकाइयों के माध्यम से परिचालन कर सकते हैं।

देशव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण कारपोरेट बाँड़ों को 1 ट्रिलियन रुपये की राहत मिली

भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को निवेश श्रेणी वाले बाँड़ों, वाणिज्यिक पत्रों (CPs) और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में अभिनियोजित करने के लिए तीन वर्ष की परिपक्वता के

लक्ष्यांकित दीर्घावधि पुनर्खरीद परिचालनों (TLTROs) के माध्यम से 27 मार्च, 2020 के दिन इन बाँड़ों में उनके बकाया निवेशों से अधिक 1 ट्रिलियन रुपये की रकम प्रदान करेगा। यह मार्ग इसलिए अपनाया गया है क्योंकि कोविड-19 जैसी देशव्यापी महामारी ने आस्ति श्रेणियों में औने-पौने दाम पर बेचने की प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर बढ़ा दी है तथा मोचन संबंधी दबावों की गहनता ने इन लिखतों यथा- कारपोरेट बाँड़ों, वाणिज्यिक पत्रों और डिबेंचरों पर चलनिधि प्रीमियम को बढ़ा दिया है। उक्त देशव्यापी महामारी से उन कंपनियों की कठिनाइयाँ भी बढ़ गई हैं जो घटती ऋण वृद्धि के वातावरण में कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर रही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी संरक्षण भंडार और निवल स्थिर निधीयन अनुपात की अंतिम तिथियाँ बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता को कम करने में सहायता करने हेतु पूंजी संरक्षण भंडार (CCB) की अंतिम शृंखला (tranche) पूरी किए जाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। कोविड-19 द्वारा उत्पन्न होने वाले संभाव्य दबाव को ध्यान में रखते हुये पूंजी संरक्षण भंडार की 0.625 % की अंतिम शृंखला का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की छ: माह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान में, बैंकों का पूंजी संरक्षण भंडार स्थायी पूंजी का 1.875% है। निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) का कार्यान्वयन भी अक्तूबर, 2020 तक की छ: माह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने एकल/सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा संशोधित की

भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी एकल उधारकर्ता अथवा सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की एक्सपोजर सीमा को संशोधित करके उसे टियर I पूंजी
की क्रमश: 15% और 25% कर दिया है। इसके पूर्व अनुमत एक्सपोजर उनकी पूंजीगत
निधियों के क्रमश: 15% और 40% थे।

उपर्युक्त संशोधित सीमाएं शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनाए गए सभी प्रकार के नए एक्सपोजरों पर लागू होंगी। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मौजूदा अतिरिक्त एक्सपोजर 31 मार्च, 2023 तक घटाकर संशोधित सीमाओं के भीतर कर दिये जाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान समाहर्ताओं, प्रवेश द्वारों को विनियमित करने हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए

भारतीय रुजर्व बैंक ने भुगतान समाहर्ताओं (Aggregators), प्रवेश द्वारों (gateways) को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, भुगतान समाहर्ता (भुगतान लिखतें स्वीकार करने हेतु वाणिज्य स्थलों और व्यापारियों की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों) को कंपनी अधिनियम, 1956 /2013 के अधीन भारत में निगमित कोई कंपनी होना चाहिए। भुगतान समाहर्ता सेवाएँ प्रदान करने वाली बैंकेतर कंपनियों के लिए 30 जून, 2021 तक या उससे पहले प्राधिकार के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। ई-वाणिज्य/कामर्स बाज़ारों को भुगतान समाहर्ता की सेवाएँ प्रदान करने वाले बाजार के व्यवसाय से अलग रखना होगा तथा उन्हें 30 जून, 2021 तक या उससे पहले प्राधिकार हेतु आवेदन करना होगा।

उक्त दिशानिर्देशों में समाहर्ताओं के लिए वित्तीय आवश्यकता भी विनिर्दिष्ट की गई है। वर्तमान में, मौजूदा भुगतान समाहर्ताओं को 31 मार्च, 2021 तक 15 करोड रुपये की और तीसरे वित्त वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2023 की समाप्ति तक 25 करोड़ रुपये की निवल मालियत प्राप्त करनी होगी। उसके बाद पश्चवर्ती रकम निरंतर रूप से बनाए रखनी होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु भारतीय लेखांकन मानक दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद से उनके वित्तीय परिणाम तैयार किए जाते समय

भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन के लिए विनियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों की उच्च गुणवत्ता तथा उनके निरंतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और उसके साथ ही तुलना एवं बेहतर पर्यवेक्षण को सुगम बनाने के उद्देश्य से ये दिशानिर्देश वित्त वर्ष 20 और उसके बाद उनके वित्तीय परिणाम तैयार किए जाने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर लागू होंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी नीतियाँ अपनानी होंगी जो उनके व्यवसाय माडलों एवं पोर्टफोलियो को स्पष्ट और चित्रित करे। उन्हें बिक्री हेतु अपनी नीतियाँ परिशोधित लागत व्यवसाय माडल पोर्टफोलियो से तैयार करनी होंगी तथा उसे वित्तीय विवरणों से जुड़ी टिप्पणियों में प्रकट करना होगा। निदेशक मण्डल को उन अपेक्षित ऋण हानियों (credit losses) के परिकलन हेतु ऐसी सुदृढ़ कार्यप्रणालियाँ अनुमोदित करनी होंगी जो नीतियों, कार्यविधियों और नियंत्रणों का इसप्रकार निराकरण करे कि वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के आकार, उनकी जटिलता एवं जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप सभी उधारदाई एक्सपोजरों पर ऋण जोखिम को निर्धारित करने और उसे मापने में समर्थ हों।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (ACB) को उन खातों के वर्गीकरण को अनुमोदित करना होगा जो 90 दिनों से अधिक समय से देय/प्राप्य हैं, किन्तु जिन्हें क्षत/ह्रासित (impaired) नहीं माना गया है । उसे उक्त अनुमोदन के पीछे निहित औचित्य को सुस्पष्ट रूप से प्रलेखित करना होगा। ऐसे खातों की संख्या, कुल बकाया रकम तथा अतिदेय रकमों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में दर्शाना होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को क्षति की गुंजाइश (impairement allowance) के लिए प्रावधान भारतीय लेखांकन मानक द्वारा यथावश्यक रूप में करना होगा। उन्हें आस्ति वर्गीकरण का रिकार्ड भी रखना होगा तथा प्रावधानों का परिकलन उधारकर्ता/हिताधिकारी-वार वर्गीकरण, मानक और उसके साथ ही पुनर्संरचित आस्तियों एवं अनर्जक आस्तियों की पुरातनता (ageing) सहित आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण
और प्रावधानीकरण (IRACP) के संबंध में वर्तमान विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार करना होगा।

बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों को आगे उधार देने हेतु उधार वित्त वर्ष 21 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भाग होंगे

पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा आवास क्षेत्र को (निर्धारित सीमा तक) बैंक ऋण अप्रैल से आरंभ होने वाले आगामी वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण माने जाएंगे। उक्त मुहिम से कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम तथा आवास क्षेत्र जैसे लक्ष्यांकित खंडों में ऋण संवितरण बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। आगे उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों कॉ बैंक ऋणों के लिए प्राथमिकता प्राप्त वर्गीकरण 2020-21 के लिए भी विस्तारित होगा। आगे उधार देने वाले माडल के अधीन संवितरित मौजूदा ऋण चुकौती/परिपक्वता की तिथि तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत किए जाते रहेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्णत: अभिगम्य मार्ग के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों की विशेश शृंखला अधिसूचित की

भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की कुछेक शृंखलाएँ पूर्णत: अभिगम्य मार्ग के तहत जारी कर रहा है। ये प्रतिभूतियाँ किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) को परिपक्वता तक आकर्षित नहीं करेंगी तथा वैश्विक बांड सूचकांकों (indices) में सूचीबद्ध की जा रही भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति एक पूर्ववर्ती (precursor)) होती हैं। इस मुहिम से विदेशी बाज़ारों में सस्ती चलनिधि प्राप्त करने तथा उसे आकर्षित किए जाने की आशा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेट बाँड़ों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की सीमाएं भी 2021 के लिए 9% से बढ़ाकर 15% कर दी है। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों की 6% वाली विदेशी पोर्टफोलियो सीमा अपरिवर्तित बनी हुई है। सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में वित्त वर्ष 21 के लिये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश हेतु संशोधन, यदि कोई हो, की सूचना अलग से दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक उन सरकारी प्रतिभूतियों को अधिसूचित करेगा जो अनिवासी (non-resident) निवेशकों के लिए "पूर्णत: अभिगम्य मार्ग" के अधीन निवेश की पात्र होंगी। इन सरकारी प्रतिभूतियों में निवासियों (resident) कॉ भी निवेश करने की अनुमति

होगी। इस अभियान से अनिवासियों कॉ भारतीय प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने की पर्याप्त सहूलियत होगी तथा इससे वैश्विक बांड सूचकांकों में इसे शामिल किए जाने में शीघ्रता आएगी, इसप्रकार, भारतीय बाँड़ों में स्थिर विदेशी निवेश का प्रवाह सुगम हो जाएगा। वित्त वर्ष 21 से 5 वर्ष, 10 वर्ष तथा 30 वर्ष की अवधियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के सभी नए निर्गम "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" के रूप में निवेश के पात्र होंगे।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 मार्च, 2020 के दिन बिलियन रुपए	27 मार्च, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3557630	475561
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3289068	439663
(ख) सोना	231084	30890
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10642	1,423
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	26836	3586

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.66900	0.49690	0.48900	0.49430	0153430
जीबीपी	0.43610	0.5084	0.499	0.506	0.5210
यूरो	-0.31000	-0.314	-0.300	-0.279	**-0.239**
जापानी येन	-0.0100	-0.025	-0.035	0.043	0.040
कनाडाई डालर	1.23000	0.749	0.807	0.875	0.918
आस्ट्रेलियाई डालर	0.34250	0.363	0.391	0.509	0.584
स्विस फ्रैंक	-0.59250	-0.622	-0.606	-0.556	-0.433
डैनिश क्रोन	-0.03650	-0.0320	-0.0223	0.0000	0.0335
न्यूजीलैंड डालर	0.52800	0.545	0.565	0.598	0.643

स्वीडिश क्रोन	0.18750	0.160	0.166	0.198	0.228
सिंगापुर डालर	0.57500	0.730	0.855	**0.945**	1.010
हांगकांग डालर	1.21000	1.040	1.040	1.050	1.065
म्यामार	2.45000	2.400	2.450	2.470	2.490

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

भारतीय लेखांकन मानक (Ind -AS)

भारतीय लेखांकन मानक भारत में स्थित कंपनियों द्वारा अपनाया गया तथा लेखांकन मानक बोर्ड (ASB), जिसका गठन वर्ष 1977 में एक निकाय के रूप में किया गया था, द्वारा जारी एक लेखांकन मानक है। लेखांकन मानक बोर्ड भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) के अधीन एक ऐसी समिति है जिसमें सरकारी विभागों, शिक्षा-शास्त्रियों, अन्य व्यावसायिक निकायों अर्थात भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के प्रतिनिधियों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग महापरिसंघ (CIF), भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (FICCI) आदि के प्रतिधियों का समावेश होता है। भारतीय लेखांकन मानक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS) की भांति ही नामांकित एवं क्रमांकित होते हैं। इन मानको को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) कारपोरेट मामला मंत्रालय को संस्तुत करता है। कारपोरेट मामला मंत्रालय को भारत में स्थित कार्यालयों के लिए लागू होने वाले मानकों को सूचित करना होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

लाभांश प्रतिफल अनुपात (DYR)

लाभांश प्रतिफल अनुपात प्रति शेयर बाजार मूल्य के अनुपात में शेयरधारकों को देय लाभांश की रकम को मापता है। इसका सूत्र (formula) निम्नानुसार है :

लाभांश प्रतिफल अनुपात + प्रति शेयर लाभांश/शेयर मूल्य

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल/मई माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
ऋण मूल्यांकन पर कार्यक्रम	20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2020 तक	दिल्ली
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से प्रशिक्षण	21 से 23 अप्रैल, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूचना प्रौद्यिगिकी और साइबर सुरक्षा-रूपरेखा, सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर अपराधों की रोकथाम	22 अप्रैल और 24 अप्रैल 2020	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत भौतिक विधि से में प्रशिक्षण	25 से 27अप्रैल, 2020 तक	मुम्बई
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	11 से 13 मई, 2020 तक	दिल्ली
बैंकों में जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	18 से 20 मई, 2020 तक	दिल्ली

अप्रैल, 2020 में मुम्बई और दिल्ली में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम उस समय कोविड-19 की स्थिति के आधार पर पुनर्निर्धारित किए जा सकते हैं।

संस्थान समाचार

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय

(UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना

प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- जनवरी-मार्च, 2020 - आल्टरनेटिव चैनेल्स आफ इन्वेस्टमेंट्स- सब-थीम्स : म्यूचुअल फंडस, पोस्ट आफिस एंड बैंक डिपोजिट्स एंड अदर्स जनवरी - मार्च, 2020

- अप्रैल-जून, 2020 - स्ट्रैटेजिक टेकनालोजी ट्रेंड्स इन बैंकस - सब थीम्स : ट्रेडीशनल लेंडिंग टू डिजिटल फलो बेस्ड लेंडिंग , फिंटेक लैंडस्केप इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर एक्सपीरिएन्स अप्रैल - जून, 2020

- जुलाई-सितंबर, 2020 - नान बैंकिंग फाइनैन्सियल कंपनीज़, सिस्टेमिक रिस्क ऐंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग फाइनैन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

5.08
5.06
5.04
5.02
5
4.98
4.96
4.94

अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर मार्च, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

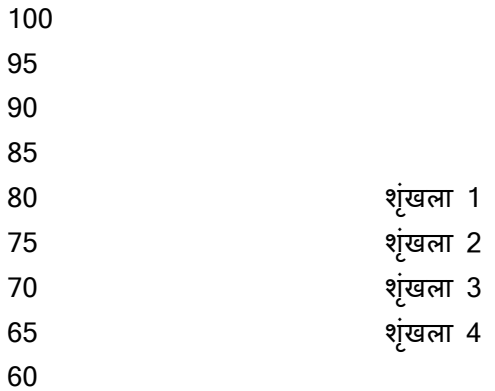

अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

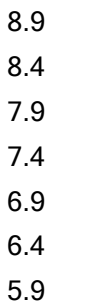

सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, डसमबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम मार्च, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

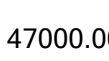

42000.00
37000.00
32000.00
27000.00

अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

12
11
10
9
8

सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम मार्च, 2020

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.